

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2149
उत्तर देने की तारीख: 12.05.2016

मध्याह्न भोजन योजना में निजी भागीदारी

2149. श्री सी. पी. नारायणन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के लिए कितना आवंटन किया गया और कितना वास्तविक व्यय हुआ;
- (ख) किस राज्य में यह योजना सबसे अच्छी तरह चलाई गई और किस राज्य में इसका क्रियान्वयन सबसे खराब रहा;
- (ग) क्या निजी कंपनियों को यह कार्य दिया गया था, यदि हां, तो किन-किन राज्यों में; और
- (घ) क्या सरकार को मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं, यदि हां तो ऐसी कितनी शिकायतें किन-किन राज्यों से प्राप्त हुईं और क्या इनकी जांच पड़ताल की गई और उन पर कार्रवाई की गई?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी)

(क) और (ख): गत तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान, जारी राशि और व्यय निम्नानुसार है:
(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी धनराशि	व्यय
2013-14	13215.00	10910.35	10873.75
2014-15	13215.00	10465.21	11316.28
2015-16	9236.40	9132.31	5961.44*

* 30 सितंबर, 2015 तक

गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार जारी धनराशि और व्यय संलग्नक-1 पर दिए गए हैं।

(ग) : मध्याह्न भोजन योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन का दिन-प्रतिदिन का कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। एमडीएम दिशा-निर्देशों में स्कूल परिसरों में भोजन पकाना और उसे परोसना अनिवार्य है। तथापि, शहरी क्षेत्रों, जहां स्कूल रसोई स्थापित करने के लिए जगह की तंगी होती है, के लिए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों के क्लस्टर्स के लिए केन्द्रीयकृत रसोइयां स्थापित की जा सकती हैं और पका-पकाया गर्म भोजन स्वस्थकर स्थितियों में संबंधित स्कूलों तक ले जाया जा सकता है। इन केन्द्रीयकृत रसोइयों के संचालन प्रतिष्ठित एनजीओ को सौंपे जा सकते हैं। तदनुसार मध्याह्न भोजन की आपूर्ति के लिए 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 314 एनजीओ को लगा रखा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एनजीओ की संख्या के ब्यौरे संलग्नक - II पर हैं।

(घ) : प्राप्त शिकायतों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे क्रमशः संलग्नक - III और संलग्नक - IV पर दिए गए हैं।

संलग्नक-I

“मध्याह्न भोजन योजना में निजी भागीदारी” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सी. पी. नारायणन द्वारा दिनांक 12.05.2016 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2149 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी	व्यय	जारी	व्यय	जारी	30.09.2015 की स्थिति के अनुसार व्यय
		2013-14		2014-15		2015-16	
1	आंध्र प्रदेश	44374.15	46542.99	31556.76	31090.81	29064.76	14334.79
2	अरुणाचल प्रदेश	4028.60	3310.84	3351.71	3283.49	3273.34	1927.89
3	असम	45710.81	46676.39	47985.16	53411.93	55376.49	26592.44
4	बिहार	117682.53	125451.67	136532.10	140647.23	120013.29	86657.82
5	छत्तीसगढ़	34264.11	32567.60	31564.09	35760.45	26991.77	17220.69
6	गोवा	1404.07	1325.22	1403.61	1578.86	1297.20	593.01
7	गुजरात	49903.26	42193.85	44783.33	45366.71	38053.30	19591.99
8	हरियाणा	19719.92	16476.79	16398.99	15358.13	12382.80	8036.43
9	हिमाचल प्रदेश	7909.36	8122.88	7460.91	7544.43	8141.23	2396.88
10	जम्मू-कश्मीर	8454.62	7869.78	6203.30	7650.40	8366.30	5637.94
11	झारखंड	35017.20	44391.74	21508.92	36332.05	24518.16	16920.25
12	कर्नाटक	73323.24	72454.84	56610.57	59165.60	41939.61	28901.29
13	केरल	19201.38	19807.04	22575.34	22623.77	17120.97	8504.46
14	मध्यप्रदेश	81863.87	78207.72	79567.82	76947.50	60698.68	49329.65
15	महाराष्ट्र	98376.59	101736.42	95059.83	116062.05	103072.93	70648.74
16	मणिपुर	1444.64	2255.55	3281.86	2286.05	2452.83	1099.38
17	मेघालय	6333.20	6251.17	6247.18	6211.95	7024.57	2119.43
18	मिजोरम	1999.56	2047.46	2049.78	1859.55	2060.99	1097.05
19	नगालैंड	1754.48	3310.84	4226.96	2679.41	1073.68	1573.68
20	उड़ीसा	61429.29	54917.66	49303.55	51824.23	39731.89	27238.91
21	पंजाब	21402.83	18287.71	13500.81	19084.34	16650.04	9039.18
22	राजस्थान	44905.67	49575.17	41757.13	49361.93	41934.63	27806.34
23	सिक्किम	1226.31	1043.07	1040.14	1203.99	1001.38	773.88
24	तमिलनाडु	49354.83	48470.17	63991.10	63061.73	44253.83	23701.69
25	तेलंगाना			20114.42	21567.02	17435.58	6652.14
26	त्रिपुरा	5073.29	5460.93	4827.01	5085.17	5129.42	2388.76
27	उत्तराखंड	9525.47	10373.19	8931.74	8678.57	10419.33	4945.07
28	उत्तरप्रदेश	120750.57	115316.06	105142.49	117628.94	86192.86	65715.38
29	पश्चिम बंगाल	111333.22	112240.77	109189.56	113916.42	75582.33	60218.08
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1119.15	979.47	322.20	276.27	281.46	118.20
31	चंडीगढ़	933.17	496.35	810.48	486.57	756.43	261.55
32	दादर एवं नगर हवेली	480.64	403.29	409.77	425.63	569.38	243.38
33	दमन और दीव	270.22	220.12	213.31	183.80	272.37	75.00
34	दिल्ली	9948.48	7997.85	7892.30	12308.59	9449.23	3485.31
35	लक्षद्वीप	115.06	63.61	108.81	87.09	127.04	22.69
36	पुडुचेरी	401.52	528.50	597.70	587.29	520.77	274.92
कुल (लाख में)		1091035	1087375	1046521	1131628	913231	596144
कुल (करोड़ में)		10910.35	10873.75	10465.21	11316.28	9132.31	5961.44

“मध्याह्न भोजन योजना में निजी भागीदारी” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सी. पी. नारायणन द्वारा दिनांक 12.05.2016 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2149 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत एनजीओ की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5
2	असम	1
3	बिहार	6
4	छत्तीसगढ़	4
5	गुजरात	3
6	हरियाणा	1
7	झारखंड	1
8	कर्नाटक	54
9	मध्यप्रदेश	10
10	महाराष्ट्र	2
11	ओडिशा	3
12	पंजाब	2
13	राजस्थान	4
14	तेलंगाना	2
15	उत्तरप्रदेश	112
16	पश्चिम बंगाल	60
17	दिल्ली	44
	कुल	314

“मध्याह्न भोजन योजना में निजी भागीदारी” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सी. पी. नारायणन द्वारा दिनांक 12.05.2016 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2149 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्न गुणवत्ता				दुरुपयोग				अनियमितताएं				जातिवाद				कुल
		2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
1	आंध्र प्रदेश		2		1		1					2						6
2	अरुणाचल प्रदेश							1										1
3	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		1															1
4	असम			1			1			1	3	3	3					12
5	बिहार	5	9	7	1	3	10	4	3	2	1	2	2					49
6	चंडीगढ़			1														1
7	छत्तीसगढ़	1	3	1									3					8
8	दिल्ली	1	2	6			2	1				1						13
9	गुजरात		1	1										1				3
10	गोवा			1						1								2
11	हरियाणा	1	1			2	3	2		1	2							12
12	हिमाचल प्रदेश			1														1
13	झारखंड	1	3	2		2	2					5	1					16
14	कर्नाटक	1	3									1			1	1		7
15	केरल										1							1
16	मध्यप्रदेश		3	3		2	1	1		1		1		1			1	14
17	महाराष्ट्र		2	5	2			1	1	3								14
18	ओडिशा	3	4	3	1	1			1									13
19	पंजाब					1		2			1							4
20	राजस्थान	2					1	1	1			1				1		7
21	तमिलनाडु	1																1
22	तेलंगाना	-	1			-	-	-								1		2
23	त्रिपुरा			1														1
24	उत्तराखंड					2	1	1			1							5
25	उत्तरप्रदेश	1	6	14	1	3	10	11	5	5	4	3	8					71
26	पश्चिम बंगाल	1		1	1	1	2	3	2	2		1	1					15
	कुल	18	41	48	7	17	34	28	13	16	13	20	18	2	1	3	1	280

‘मध्याह्न भोजन योजना में निजी भागीदारी’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सी. पी. नारायणन द्वारा दिनांक 12.05.2016 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2149 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

शिकायतों पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	कार्रवाई का प्रकार	2013				2014				2015				2016				कुल
		नि.गु.	दुरु.	अनि.	जाति	नि.गु.	दुरु.	अनि.	जाति	नि.गु.	दुरु.	अनि.	जाति	नि.गु.	दुरु.	अनि.	जाति	
1	विभागीय कार्रवाई (चेतावनी, स्थानांतरण, निलंबन) और सेवा प्रदाता के विरुद्ध कार्रवाई/राज्य सरकार द्वारा शिकायत की पुष्टि	6	5	2	-	10	-	1	-	15	2	-	-	1				42
2	राज्य स्तरीय जांच/पूछताछ	3	0	-	-	4	3	-	-	2	-	-	-					12
3	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संबंधितों के लिए निदेश जारी करने सहित सामान्य सुधारात्मक कार्रवाई	5	-	5	-	5	1	3	-	4	1	-	-					24
4	निराधार साबित नहीं हुआ और मध्याह्न भोजन से संबंधित नहीं	2	6	3	2	7	4	-	1	5	2	-	1					33
5	उत्तर प्रतीक्षित	2	6	6	-	15	26	9	-	22	23	20	2	6	13	18	1	169
6	कुल	18	17	16	2	41	34	13	1	48	28	20	3	7	13	18	1	280

नि.गु. = निम्न गुणवत्ता, दुरु. = दुरुपयोग, अनि. = अनियमितताएं, जाति = जातिगत भेदभाव